

पत्रांक : 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय-01-03/2025/...../पं०रा०

52 (अ.प.)

बिहार सरकार
पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

नजर हुसैन,
विशेष सचिव

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
बांका, मधेपुरा, मुजफ्फरपुर,
सारण, पूर्णियाँ एवं पश्चिम चम्पारण (बेतिया)।

पटना, दिनांक 08/09/2026

विषय : वित्तीय वर्ष 2026-27 में विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 45(स्वी०)
दिनांक 14.08.2026 द्वारा स्वीकृत कुल ₹24,00,000.00 (चौबीस
लाख रुपये) मात्र की अनुग्रह अनुदान की राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय आदेश संख्या 216-सह-पठित ज्ञापांक 7243 दिनांक 11.11.2019 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2026-27 में विभागीय स्वीकृत्यादेश 45(स्वी०) दिनांक 14.08.2026 द्वारा मृत ग्राम कचहरी न्यायमित्र के आश्रितों को ₹4,00,000.00 (चार लाख रुपये) मात्र प्रति इकाई की दर से कुल ₹24,00,000.00 (चौबीस लाख रुपये) मात्र की राशि की स्वीकृति दी गई है।

2. उक्त विभागीय स्वीकृत्यादेश के आलोक में वित्तीय वर्ष 2026-27 में कुल ₹24,00,000.00 (चौबीस लाख रुपये) मात्र की राशि निम्नरूपेण आवंटित की जाती है :-

राशि रुपये में।					
क्र०	जिला का नाम	मृत कर्मि का नाम एवं पता	आश्रिता का नाम	पदनाम	आवंटित राशि
1	2	3	4	5	6
1	बांका	स्व० रेखा घोष, न्यायमित्र, ग्राम कचरी-बिरनियाँ, प्रखंड-चान्दन, जिला-बांका	श्री अजीत कुमार (पति)	ग्राम कचहरी न्यायमित्र	₹4,00,000.00
2	मधेपुरा	स्व० महेन्द्र कुमार, न्यायमित्र, ग्राम पंचायत-बिसनपुर बाजर, प्रखंड-कुमारखंड, जिला-मधेपुरा	श्रीमती मंजू कुमारी (पत्नी)	ग्राम कचहरी न्यायमित्र	₹4,00,000.00
3.	मुजफ्फरपुर	स्व० किरण कुमारी गौर, ग्राम कचहरी न्यायमित्र, प्रखंड-गायघाट, जिला-मुजफ्फरपुर	श्री कृष्ण मोहन प्रसाद (पति)	ग्राम कचहरी न्यायमित्र	₹4,00,000.00

4.	सारण	स्व० रंजन प्रसाद भक्त, ग्राम कचहरी न्यायमित्र, ग्राम कचरी-शेखपुरा, प्रखंड-अमनौर, जिला-सारण	श्रीमती प्रमिला देवी (पत्नी)	ग्राम कचहरी न्यायमित्र	₹4,00,000.00
5.	पूर्णियाँ	स्व० कृष्ण कुमार चौधरी, ग्राम कचरी न्यायमित्र, ग्राम कचहरी-खाडी महिनगाँव, प्रखंड-अमौर, जिला-पूर्णियाँ	श्री दीपक कुमार (पुत्र)	ग्राम कचहरी न्यायमित्र	₹4,00,000.00
6.	पश्चिम चम्पारण (बेतिया)	स्व० लालचन राम, ग्राम कचहरी न्यायमित्र, ग्राम कचहरी-टेसरहिसा बथुवरिया, प्रखंड-बगहा-1, जिला-पश्चिम चम्पारण (बेतिया)	श्रीमती इन्दु देवी (पत्नी)	ग्राम कचहरी न्यायमित्र	₹4,00,000.00
कुल					₹24,00,000.00

चौबीस लाख रुपये मात्र

3. इस आवंटित राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, संबंधित जिला पदाधिकारी होंगे, जो राशि की निकासी संबंधित जिला कोषागार से बिहार कोषागार संहिता, 2011 के सुसंगत नियमों के आलोक में करेंगे।

4. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम-4-05/98-2561 वि(2) दि० 17 अप्रैल 1998, पत्रांक 236 दिनांक 09.03.2026 एवं 926 दिनांक 31.07.2026 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

5. इस आवंटित राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2026-27 में स्थापना एवं प्रतिवद्ध व्यय के अंतर्गत "मुख्य शीर्ष-2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-उपमुख्य शीर्ष-00-लघुशीर्ष-198-ग्राम पंचायतों को सहायता-उपशीर्ष-0010-ग्राम कचहरी के विभिन्न मदों हेतु" मद के "विषय शीर्ष-0010.37.01-अनुग्रह अनुदान" से किया जायेगा। इसकी मांग संख्या 16 एवं विपत्र कोड संख्या 16-2515001980010 है।

6. आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद ही की जाये। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

7. इस आवंटन को व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाए। राशि का व्यय सक्षम पदाधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर नियमों के आलोक में की जाये, ताकि कोई व्यय अथवा राशि की निकासी अनियमित नहीं हो।

8. कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि का स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड,

विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।

9. वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय-समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।

10. इस आवंटनादेश के सभी पृष्ठ विशेष सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना द्वारा हस्ताक्षरित है।

11. इस आवंटन प्रस्ताव एवं प्रारूप में विभागीय सचिव, बिहार, पटना का अनुमोदन संचिका संख्या 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय-01-03/2025 के पृष्ठ संख्या 105/टि० पर दिनांक 02/09/26 को प्राप्त है।

12. इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वासमान

(नजर हुसैन)

विशेष सचिव

ज्ञापांक : 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय-01-03/2025/52(अ०) प्र०रा० पटना, दिनांक 02/09/26
प्रतिलिपि : महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/संबंधित जिला कोषागार पदाधिकारी/संबंधित जिला पंचायत राज पदाधिकारी/प्रभारी पदाधिकारी-06 एवं 07(उपयोगिता प्रमाण पत्र कोषांग), पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

विशेष सचिव

ज्ञापांक : 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय-01-03/2025/52(अ०) प्र०रा० पटना, दिनांक 02/09/2026
प्रतिलिपि : आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

(नजर हुसैन)

विशेष सचिव

Aditi

In